यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/270/2021 तारीख रजू.........................

केशवदेव **बनाम** जग्गो वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 296, 79/242, वाके ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 19.01.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 19.01.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) (मुहर: उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर))	
19/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से श्री तेजसिंह शर्मा एड0 ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। शामिल मिसल किया। अप्रार्थी नं0 1-2 उप0 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस 212 RTA दिनांक 24/1/22 को पेश हो। SDO K	
24/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप0। अप्रार्थी वकील द्वारा बहस हेतु की ओर मौका चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस अतिरिक्त मौका दिया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	4/3/22 को पेश हो SDM
5/2/22	पत्रावली पेश हुई वकीलान उपस्थित। बहस वकीलान सुनी गई वास्ते आदेश 24/2/22 को पेश हो SDM
24/2/22	पत्रावली पेश हुई वकीलान उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया वास्ते आदेश 5/3/22 को पेश हो SDM
5/3/22	वकीलान .... उपस्थित। [illegible] आदेश दिनांक 5/3/22 को पत्रावली में [illegible] वास्ते पुनः बहस दिनांक 12/5/22 को पेश हो। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया
12/5/22	वकीलान .... उपस्थित। [illegible] आदेश दिनांक 5/1/22 को पत्रावली में [illegible] वास्ते E.D. दिनांक 18/5/22 को पेश हो।
Not Press RJ	
18/5/22	वकीलान उभय पक्ष वकील प्रार्थी अपने प्रा० पत्र [illegible] को आगे चलाना नहीं चाहते हैं उन्होंने अपने प्रा० पत्र [illegible] को not press कर दिया है अतः प्रा० पत्र [illegible] वकील प्रार्थी के not press में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] मुख्य वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया SDM उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)